कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना.स्था/2018 दिनांक 19.05.2018 द्वारा श्री सूरजमल प्रधानाचार्य राउमावि–छाजोली जायल नागौर का स्थानान्तरण राउमावि–लबाना, आमेर जयपुर किया गया था। राउमावि–लबाना आमेर जयपुर में पूर्व से ही श्रीमती कविता गर्ग प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत होने के फलस्वरूप श्री सूरजमल को विभागीय आदेश दिनांक 24.05.2018 द्वारा पुनः लबाना से छाजोली स्थानान्तरित कर दिया गया। उक्त स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.05.2018 के विरूद्ध श्री सूरजमल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में एस बी सिविल याचिका संख्या 11766/2018 द्वारा की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2018 द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 24.05.2018 (श्री सूरजमल के राउमावि लबाना जयपुर से पुनः राउमावि छाजोली किये गये स्थानान्तरण) का प्रभाव एवं कियान्वयन माननीय न्यायालय के आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया।

माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या 11766/2018 श्री सूरजमल बनाम सरकार में 19.07.2018 को निर्णय देते हुए प्रकरण को माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में अपील प्रस्तुत करने की स्वतन्त्रा प्रदान करते हुए याचिका को पंज किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका कार्यवाही पंज किये जाने के फलस्वरूप याचिका में जारी स्थगन आदेश दिनांक 30.05.18 भी निष्प्रभावी हो जाने के कारण याचिकार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.05.2018(राउमावि लबाना से राउमावि छाजोली नागौर) वर्तमान में प्रभावी है।

स्थानान्तरण आदेश दिनॉक 24.05.2018 में उल्लेखित राउमावि–छाजोली में प्रधानाचार्य के पद पर श्रीमति सुमन द्वारा पदोन्नति पर कार्यग्रहण किया जा चुका हैं। अतः स्थानान्तरण आदेश दिनॉक 24.05.2018 को तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा निरस्त किया जाता हैं । राउमावि लबाना जयपुर में श्रीमती कविता गर्ग एवं श्री सूरजमल प्रधानाचार्य के स्वीकृत एक पद पर कार्यरत हैं । अतः श्री सूरजमल प्रधानाचार्य राउमावि लबाना जयपुर का समायोजन तत्काल प्रभाव से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाली बडी–सज्जनगढ बॉसवाडा में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाता हैं। श्री सूरजभान को उक्त समायोजन आदेश में नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/45002/प्रधाना.स्था/2018 दिनांक 25/07/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. सम्बन्धित उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा जयपुर/नागौर/बांसवाडा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित कार्मिक।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)